तारीख हुक्म	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) जितेन्द्र कुमार बनाम [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा क्र.न. - 131/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
..06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी प्रकरण मे साक्ष्य पेश हो जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादी ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 25.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
25.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.08.27 13:00:08 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
131 / 2023	2023 / 1135	14.09.2023	25.06.2025

उनवान प्रकरण

1. जितेन्द कुमार काला पुत्र कजोड़मल आयु साल जाति मेघवंशी बलाई निवासी ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

भूम्धिारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार पालीवाल, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1083 / 740,

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(2)

1084/740, 1085/741, 1086/741, 742 कुल किता 5 कुल रकबा 3.7700 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे स्थित है जिसके 3/64 हिस्सा की खातेदारी मे वादी का नाम पप्पू पुत्र कजोड दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम जितेन्द्र कुमार काला पुत्र कजोडमल है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 607, 608 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे स्थित है जिसके 1/16 हिस्सा की खातेदारी मे वादी का नाम सत्येन्द्र पुत्र कजोड दर्ज है, जबकि वादी का वास्तविक नाम जितेन्द्र कुमार काला पुत्र कजोडमल है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1061/755, 1062/755, 488, 653 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे स्थित है जिसके 1/64 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम सत्येन्द्र पुत्र कजोड दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम जितेन्द्र कुमार काला पुत्र कजोडमल है। वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात् परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में भी जितेन्द्र कुमार काला पुत्र कजोडमल ही अंकित है परन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी में वादी का नाम वादी को घर पर बोलते नाम पप्पू व सत्येन्द्र पुकारने के कारण वादी का नाम पप्पू व सत्येन्द्र दर्ज हो गया। जिससे वादी को सख्त हकतलफी है एंव वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी हो रही है। इसलिए वादी का नाम पप्पू पुत्र कजोड व सत्येन्द्र पुत्र कजोड के स्थान पर जितेन्द्र कुमार काला पुत्र कजोडमल घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादी के उक्त नामों के सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम पंचायत भारणी द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 16.06.2023 को जारी किये गये में भी जितेन्द्र पुत्र कजोडमल, पप्पू पुत्र कजोडमल व सत्येन्द्र पुत्र कजोडमल जाति बलाई निवासी भारणी तीनों एक ही व्यक्ति है। वादी ने भूमिधारी तहसीलदार व पटवारी हल्का से उक्त नाम सही दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो न्यायालय से आदेश लाने की कहे जाने पर बिनाय ए दावा पैदा होकर [illegible] दुरूस्ती का दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। अतः वादी ने वादपत्र [illegible] किया है कि घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड इस अमर की पारित की जावे कि तन ग्राम भारणी पटवार हल्का भारणी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1063/740, 1064/740, 1085/741, 1086/741, 742 कुल किता 5 कुल रकबा 3.7700 हैक्टर मे 3/64 हिस्सा की खातेदारी मे वादी का नाम मन्नू पुत्र कजोड़ के स्थान पर जितेन्द्र कुमार काला पुत्र कजोड़मल एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 607, 608 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हैक्टर मे 1/16 हिस्सा की खातेदारी मे वादी का नाम सत्येन्द्र पुत्र कजोड़ के स्थान पर जितेन्द्र कुमार काला पुत्र कजोड़मल एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1061/755, 1062/755, 488, 653 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1200 हैक्टर मे 1/64 हिस्सा की खातेदारी मे वादी का नाम सत्येन्द्र पुत्र कजोड़ के स्थान पर जितेन्द्र कुमार काला पुत्र कजोड़मल घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने बाबत आदेश प्रतिवादी को दिये जाने का निवेदन अपने वादपत्र मे किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील अमलतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यो के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 947/भू.अ./2025 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। साक्ष्य वादी मे वादी जितेन्द्र कुमार काला, वादी की साक्ष्य गवाह में रघुवीर सिंह व झाबरमल बलाई के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में वकील वादी ने वाद पत्र मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व साक्ष्य वादी मे लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से प्रकरण मे आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील [illegible] एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील [illegible] बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड आतेन, चौसाला, आधार जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(5)

सम्वत् 2074–2077 की तीन जमाबंदीया, 2033–2036, 2042–2045, नामान्तकरण संख्या 302, 303, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकण्डरी स्कूल की अकतालिका, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, सरपच, ग्राम पंचायत भारणी द्वारा नाम के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र, साक्ष्य वादी में पेश शपथ पत्र वादी व गवाहान, पटवारी हल्का भारणी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी में वादी का नाम सतेन्द्र पुत्र कजोड व पप्पू पुत्र कजोड़ के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। प्रार्थी का नाम सतेन्द्र पुत्र कजोड जाति मेघवंशी सा0 देह जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 302, 303 दिनांक 25.05. 1981 से आना प्रमाणित होता है। पटवारी हल्का भारणी की फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार सतेन्द्र पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी व पप्पू पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम भारणी में नहीं होना तथा सतेन्द्र पुत्र कजोड जाति मेघवंशी व पप्पू पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी व जितेन्द्र कुमार पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी तीनों नाम एक ही व्यक्ति के होना प्रकट होता है। जबकि अन्य दस्तावेजात् यथा मतदाता सूचि, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, सरपंच, ग्राम पंचायत भारणी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी अंकित होना प्रकट होता है तथा सरंपच ग्राम पंचायत भारणी ने अपने द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र में सतेन्द्र पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी व पप्पू पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी को ही जितेन्द्र कुमार पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी एक व्यक्ति के ही नाम होना अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी का नाम सतेन्द्र पुत्र कजोड जाति मेघवंशी व पप्पू पुत्र कजोड़ जाति मेघवंशी के स्थान पर जितेन्द्र कुमार पुत्र कजोड शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

(8)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम भारणी पटवार हल्का भारणी तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1083/740, 1084/740, 1085/741, 1086/741, 742 कुल किता 5 कुल रकबा 3.7700 हैक्टर में 3/64 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम पप्पू पुत्र कजोड के स्थान पर जितेन्द्र कुमार पुत्र कजोड़मल एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 607, 608 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हैक्टर मे 1/16 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम सत्येन्द्र पुत्र कजोड़ के स्थान पर जितेन्द्र कुमार पुत्र कजोड़मल एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1061/755, 1062/755, 488, 653 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1200 हैक्टर में 1/64 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम सत्येन्द्र पुत्र कजोड के स्थान पर जितेन्द्र कुमार पुत्र कजोड़मल घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:40:08 IST
Reason: SelfAttested